

11/12/25 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थना पत्र व उनके  
वकील अनुपस्थित। मूल वाद का निस्तारण  
हो चुका है। मूल वाद का निस्तारण होने  
से प्रार्थना पत्र अलग से चलाये जाने का  
कोई औचित्य नहीं होने से मूल वाद के  
साथ-साथ प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर वारिज  
किया जाता है पत्रावली कुल कुमार होकर  
दाखिले दफ्तर हो एम्बर से कम हो।

*[Signature]*

सहायक कलेक्टर  
(SDO) भौहटन

